R. 22

ज़ायद बही नं० 4 21

जिलद—बाबत महकमा सब-रजिस्ट्रार

कीमत अशटाम्प नोट:—यह ख़ाना इस किसम के नोटों के लिये भी इस्तेमाल हो सकते हैं जो मामूली किताब नं० 4 के खाना कैफियत में लिखे जाते हैं	नम्बर शुमार अन्दराज मुआमले केमालीयत और नोईयत और कीमत रजिस्ट्री व दीगर रसूम और तावान वसूल शुदा
शून्य अस्टाम मालीयती ——— रुपये किराया 5 ——— रुपये है। कुल 862 है।	R. No. 112 वसीयत R.F = 50.00 C.F = 3.00 Total/- 53.00

Sub Registrar
Distt. Bilaspur (H.P.)

...hal Government Judicial Paper

...त नामा जुज़ 1

...तुलसी उमर तख़मीनन 70 साल वल्द करतू ज़ात जुलाहा
...ना कैहरीयां परगना फतेहपुर उपतैहसील श्री नैनादेवी
ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का हूँ, जो के
...र ज़ईफुल लागर व लाऔलाद व लावारिस शख्स
...रे कुछ अरसा से मामूली बिमार भी होता रहता
...जाता हूँ इस लिये हर हाल में दीगरान की
...मत व परवरिश का मोहताज है, मुज़हर की
...हालत में घनैइया वल्द करतू ज़ात जुलाहा सकना
...या परगना फतेहपुर उपतेहसील श्री नैनादेवी
ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश हकीकी बरादर
...र ही हर तरह से मुज़हर की देख भाल व
...मत व परवरिश करता व इलाज मुआलजा
...ता चला आता था व है शुरू साल रवां का
...र है के मुसम्मी नत्थूराम वल्द तुलसी ज़ात
...हा सकना बरोट तैहसील आनन्दपुर साहिब
...रोपड़ पंजाब प्रदेश जो मुज़हर का वाकफकार
...रवाना मुज़हर आया और मुज़हर की कुछ
...कुछ ज्यादा ही देख भाल और खिदमत
...मुज़हर को घनैइया मज़कूर से बदज़न कर
...और मुज़हर को उस ने यह झांसा भी दिया
...ार मुज़हर उस

...त नामा जुज़ 2

...न में वसीयत तैहरीर व तकमील करवा उस को
...फात खुद जायदाद खुद का वारस मुकर्र कर दे
मुज़हर की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत व परवरिश
...त मुज़हर करता रहे गा, मुज़हर सादा लोह व
...र शख्स नत्थूराम मज़कूर के फरेब में आ
...और मुज़हर ने उस के हक में जुमला जायदाद

(नकल)

No 694116 A. Himachal Government Judicial Paper

वसीयत नामा जुज़ 1

मनके तुलसी उमर तख़मीनन 70 साल वल्द करखू ज़ात जुलाहा सकना कैहरीयां परगना फतेहपुर उपतैहसील श्री नैनादेवी जी ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का हैं, जो के मुज़हर ज़ईफ़ व लागर व लाऔलाद व लावारिस शख़्स है और कुच्छ अर्सा से मामूली बिमार भी होता रहता चला आता है इस लिये हर हाल में दीगरान की खिदमत व परवरिश का मोहताज है, मुज़हर की ऐसी हालत में धनैइया वल्द करखू ज़ात जुलाहा सकना कैहरीया परगना फतेहपुर उप तैहसील श्री नैनादेवी जी ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश हकीकी बरादर मुज़हर ही हर तरह से मुज़हर की देख भाल व खिदमत व परवरिश करता व इलाज मुआलजा करवाता चला आता था व है शुरु साल रवां का ज़िकर है के मुसम्मी नत्थूराम वल्द तुलसी ज़ात जुलाहा सकना बरोटू तैहसील आनंदपुर साहिब ज़िला रोपड़ पंजाब प्रदेश जो मुज़हर का वाकफ़कार था बरवाना मुज़हर आया और मुज़हर की कुच्छ रोज़ कुच्छ ज़्यादा ही देख भाल और खिदमत कर मुज़हर को धनैइया मज़कूर से बद ज़न कर दिया और मुज़हर को उस ने यह झांसा भी दिया के अगर मुज़हर उस

वसीयत नामा जुज़ 2

के हक में वसीयत तैहरीर व तकमील करवा उस को बाद वफ़ात खुद जायदाद खुद का वारस मुकर्र कर दे तो वह मुज़हर की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत व परवरिश ताहयात मुज़हर करता रहे गा, मुज़हर सादा लोह व लाचार शख़्स नत्थूराम मज़कूर के फ़रेब में आ गया और मुज़हर ने उस के हक में जुमला जायदाद हर किस्म खुद की निस्बत वसीयत कर उस को बाद वफ़ात खुद वारस खुद मुकर्र कर दिया वसीयतनामा बहक नत्थूराम मज़कूर होते ही वह जायदाद मुज़हर हड़प करने के मकसद खुद के असली रंग में आ गया, और कुच्छ रोज़ बाद ही मुज़हर को वह फिर मेरे हाल पर छोड़ चलता बना वह तख़मीनन अर्सा 1 माह ही मुज़हर के पास रहा मुज़हर को फिर बेसहारा पा कर धनैइया मज़कूर

अंगूठा तुलसी, मौसी मज़कूर

अंगूठा तुलसी, मौसी मज़कूर

19-6-90
2-5

दस्तावेज़ दाखिल की गई बही
किताब 5 नम्बर ॥
जिल्द 862 ॥

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur
19/6/90

चूंकि बरलिया जाति हुआ श्री तुलसी S/o बरह
कस्बा बहरियां परगना फतेहपुर तहसील सदर
जिला बिलासपुर [illegible] आज दिनांक 19 जून 1990
मुताबिक 29 ज्येष्ठ 1912 बरोज मंगलवार
समय 5/- [illegible] कार्यालय सब रजिस्ट्रार
सदर में [illegible] पेश किया।

पेश कर्ता

ल.नि.
तुलसी

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur
19/6/90

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पेश कर्ता ने अंगूठा निशान
मेरे सामने [illegible]

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
19/6/90

№ 694117 A Himachal Government Judicial Paper

बरादर मुज़हर को फिर मुज़हर पर तरस आ गया और
वह फिर से मुज़हर की हस्ब साबका देख भाल व
खिदमत व परवरिश करने लग पड़ा इन हालात में
मुज़हर को साबका वसीयत नामा मिन्जानिब खुद
बहक नत्थूराम मज़कूर बवजह अब उस को अपना
वारस ना रखना चाहने से तनसीख करना और
घनैइया मज़कूर की खिदमात

वसीयत नामा जुज़ 3

को मद्दे नज़र रखने और आयन्दा भी उस से ऐसी ही
खिदमात करते रहने की तवक्का होने से नीज़ हयात
चन्द रोज़ा का भी कोई भरोसा ना होने से अब
घनैइया मज़कूर के हक में वसीयत नामा करना
ज़रूरी हो गया है मुज़हर कुछ जायदाद मनकूला
व ग़ैर मनकूला वाकै पैदा करदा खुद वाक्या
कैहरीयां परगना फतेहपुर का मालक व काबज़ है
सो मुज़हर अब जुमला जायदाद हर किस्म खुद
घनैइया मज़कूर को ही देने का ख्वाहां है
जो मुज़हर की जायदाद मज़कूरा मामूली मालीयत
की है लेकिन अग़लब है के बाद वफ़ात मुज़हर
जायदाद मुज़हर की निस्बत कोई शख्स तनाज़ा
किसी किस्म करे इस लिये अब मुज़हर बाद
वफ़ात खुद जायदाद हर किस्म खुद की निस्बत
पैदा हो पाने वाले हर तनाज़ा को रफ़ा करने की
ग़र्ज़ से बकायमी होश व हवास खमसा खुद बिला
जबर व अकराह व तरग़ीब ग़ैरे किसी किस्म
इस तैहरीर की रू से साबका वसीयत नामा मिन्जानिब
खुद तुलसी बहक नत्थूराम मज़कूर तनसीख
करता है अब वह दस्तावेज़ वसीयत नामा रद्द
तसव्वर हो जी जिस पर हरगिज़ कोई अमल ना
हो पावे गा वह दस्तावेज़ वसीयत नामा आज
रोज़ से बेअसर हुई और

वसीयत नामा जुज़ 4

अब जुमला जायदाद मनकूला व ग़ैर मनकूला हर किस्म
खुद की निस्बत हस्ब ज़ैल वसीयत करता व लिख
देता हूं के जब तक मुज़हर हयात है जुमला जायदाद
हर किस्म खुद का मालक व काबज़ है बाद वफ़ात

अंगूठा [illegible] तुलसी
[illegible]

19-6-90

वसीका वसीयत नामा हजा श्री तुलसी को

हरफ व हरफ [illegible] सुनाया व समझाया गया। जिसने

इस वसीका को [illegible] मीन को सुन व

समझकर [illegible] गवाहान

श्रीराम सिंह प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] जिसको मैं स्वयं

परिचित हूं [illegible] हुआ तस्दीक किया

जाता है [illegible]।

पेश कर्ता — गवाहान कर्ता

L.T.I.
तुलसी

Ram Singh
प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
जिला बिलासपुर (हि. प्र.)

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
19/6/90

मैं प्रमाणित करता हूं कि पेश कर्ता ने अंगूठा निशान मेरे सामने लगाया है।

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur
19/6/90

Nº 694112 A **Himachal Government Judicial Paper**

मुज़हर जुमला जायेदाद मनकूला व ग़ैर मनकूला हर किस्म मुज़हर वाक्या कैहरीयां परगना फतेहपुर उपतैहसील श्री नैनादेवी जी ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश या दीगर जहां कहीं भी वाक्या हो का धनैइया मज़कूर वाहद मालक व काबज़ तसव्वर हो गा, किसी भी दीगर शख्स का कोई ताल्लुक व वास्ता किसी किस्म किसी जायेदाद मुज़हर मौसी से ना हो गा और हर दीगर वारस मुज़हर मौसी जायेदाद हर किस्म मुज़हर मौसी से मेहरूम तसव्वर हो गा, धनैइया मौसीइलहा मज़कूर ही वाहद कामल मालक व काबज़ जुमला जायेदाद मनकूला व ग़ैर मनकूला हर किस्म मुज़हर मौसी का हो गा, किसी भी दीगर शख्स को मुज़हर मौसी के वसीयत नामा हज़ा को तबदील या तनसीख करवाने का कोई हक्क हासल ना हो गा मुज़हर मौसी की वसीयत नामा हज़ा से पेशतर की जो कोई भी दस्तावेज़ वसीयत नामा मिन्जानिब मुज़हर मौसी बहक नत्थूराम मज़कूर वसीयत नामा जुज़ 5

या ज़िल किसी भी शख्स के हक्क में हो वह दस्तावेज़ वसीयत नामा अब तनसीख हो कर रद तसव्वर हो गी और वसीयत नामा हज़ा पर पुरा पुरा अमल हो गा, लेहज़ा वसीयत नामा हज़ा लिख दिया के सनद रहे।

तैहरीर 19/6/90

गवाह शुद — बाबूराम वल्द मनीराम वल्द रोडा सकना रखवाड परगना फतेहपुर उपतैहसील श्री नैनादेवी जी ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश

अलबद — तुलसी, मौसी मज़कूर

गवाह शुद — रिड़कू वल्द चिंगू वल्द निहालू सकना भारसड़ा परगना फतेहपुर उपतैहसील श्री नैना देवी जी ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश

बाबूराम

हस्ब मुराद सायल लिखा गया सुन समझ कर दस्तत तसलीम किया / लेखक हरबंस सिंह अराइज़ व वसायक नवीस बिलासपुर (680 19/6/90) मोहर

नोट वसीयत नामा हज़ा 862 अल्फाज़ पर मुशतमल है।

तस्दीक

नकल मुताबिक असल है कोई लफ़्ज़ कटा फटा मशकूक या कम व बेश ना है। नकल कुनिंदा हरबंस सिंह अराइज़ व ... शामल 680

(हाशिये पर:) अलबद तुलसी, मौसी मज़कूर

Registered at No. 112 in Book 3

Volume No. 91 on page/pages 41 This 19

day of [illegible] 1990

Sub-Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
19/6/90